

पर्यटन मंत्रालय

मांग संख्या 94

पर्यटन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1046.77	63.32	1110.09	1207.00	72.98	1279.98	948.00	70.28	1018.28	1280.00	75.30	1355.30	
पूँजी	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	
जोड़	1050.77	63.32	1114.09	1210.00	72.98	1282.98	950.00	70.28	1020.28	1282.00	75.30	1357.30	
1. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	3451	...	6.80	6.80	...	8.00	8.00	...	7.11	7.11	...	8.30	8.30
पर्यटन													
2. महानिदेशक, पर्यटन – निदेशन तथा प्रशासन	3452	6.50	52.55	59.05	13.00	60.19	73.19	13.00	59.22	72.22	40.00	63.40	103.40
	3601	1.75	...	1.75	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	4.00	...	4.00
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
	जोड़	8.25	52.55	60.80	15.00	60.19	75.19	15.00	59.22	74.22	45.00	63.40	108.40
3. पर्यटन सूचना और प्रचार													
3.01 घरेलू अभियान	3452	56.25	0.24	56.49	75.00	0.20	75.20	57.00	0.18	57.18	98.00	0.20	98.20
	3601	3.13	...	3.13	5.50	...	5.50	3.00	...	3.00	8.00	...	8.00
	3602	0.30	...	0.30	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00
	जोड़	59.68	0.24	59.92	81.00	0.20	81.20	60.00	0.18	60.18	108.00	0.20	108.20
3.02 विदेशी अभियान	3452	243.06	...	243.06	267.00	...	267.00	180.00	...	180.00	350.00	...	350.00
जोड़- पर्यटन सूचना और प्रचार		302.74	0.24	302.98	348.00	0.20	348.20	240.00	0.18	240.18	458.00	0.20	458.20
4. पर्यटक अवसरचना													
4.01 ईएपी – भिन्न घटक	3452	253.42	...	253.42	288.00	...	288.00	246.00	...	246.00	263.00	...	263.00
	3601	349.09	...	349.09	247.00	...	247.00	187.00	...	187.00	100.00	...	100.00
	3602	1.12	...	1.12	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	5452	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
	जोड़	604.63	...	604.63	546.00	...	546.00	433.00	...	433.00	373.50	...	373.50
4.02 ईएपी घटक	5452	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50
जोड़- पर्यटक अवसरचना		607.63	...	607.63	548.00	...	548.00	435.00	...	435.00	375.00	...	375.00
5. प्रशिक्षण	3452	123.00	1.17	124.17	142.00	1.00	143.00	132.00	0.80	132.80	215.00	0.80	215.80
	3601	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	20.00	...	20.00
	जोड़	127.00	1.17	128.17	148.00	1.00	149.00	138.00	0.80	138.80	235.00	0.80	235.80

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6. अन्य व्यय	3452	5.15	1.17	6.32	30.00	2.44	32.44	27.00	1.82	28.82	40.00	1.40	41.40
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/ स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	121.00	...	121.00	95.00	...	95.00	129.00	...	129.00
8. विविध सामान्य सेवाएं-विनिमय द्वारा हानि	2075	...	1.39	1.39	...	1.15	1.15	...	1.15	1.15	...	1.20	1.20
जोड़-पर्यटन		1050.77	56.52	1107.29	1210.00	64.98	1274.98	950.00	63.17	1013.17	1282.00	67.00	1349.00
कुल जोड़		1050.77	63.32	1114.09	1210.00	72.98	1282.98	950.00	70.28	1020.28	1282.00	75.30	1357.30
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. भारत पर्यटन विकास निगम लि.	13452	...	10.96	10.96	13.57	13.57	...	15.66	15.66
जोड़		...	10.96	10.96	13.57	13.57	...	15.66	15.66
ग. योजना परिव्यय													
1. पर्यटन	13452	1050.77	10.96	1061.73	1089.00	...	1089.00	855.00	13.57	868.57	1153.00	15.66	1168.66
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	121.00	...	121.00	95.00	...	95.00	129.00	...	129.00
जोड़		1050.77	10.96	1061.73	1210.00	...	1210.00	950.00	13.57	963.57	1282.00	15.66	1297.66

1. **सचिवालय – आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय को पूरा करने के लिए है।

2. **निदेशन एव प्रशासन:** यह प्रावधान पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय स्थापना और इसके अधीन क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों का व्यय पूरा करने के लिए है। उनके मुख्य कार्यकलाप पर्यटक सूचना का प्रचार-प्रसार करना, पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना, होटलों, यात्रा एजेंटों, गाइडों आदि जैसे यात्रा उद्योग के विभिन्न खंडों का विनियमन करना है। इसमें बेहतर पर्यटक सुविधाएं प्रदान के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सूचना प्रौद्योगिकी पहलों हेतु प्रावधान को भी शामिल किया गया है।

3. **पर्यटक सूचना एवं प्रचार:** भारतीय गंतव्यों एवं उत्पादों का संवर्धन एवं मार्केटिंग भारत और विदेश स्थित भारत पर्यटक कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों के संवर्धन के लिए की जाने वाली संवर्धनात्मक गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू बाजारों में अतुल्य भारत ब्रैंड लाइन के अंतर्गत मीडिया अभियान शामिल है। इसके अतिरिक्त विदेश स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से श्रृंखला के रूप में की जाने वाली संवर्धनात्मक गतिविधियों में यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, रोड शोज, भारत परिचय सेमिनारों और कार्यशालाओं, भारतीय भोजन एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन और समर्थन, ब्रोशरों का प्रकाशन, संयुक्त विज्ञापन और ब्रोशर सहायता प्रदान करना और

मीडिया कर्मियों, टूर ऑपरेटर्स और मत निर्माताओं को मंत्रालय के सत्कार कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करना शामिल है। पर्यटन मंत्रालय विपणन विकास सहायता स्कीम के तहत अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता भी सुझाया जाता है।

4. **पर्यटक अवसंरचना:** यह प्रावधान बजट आवास, मार्गस्थ सुविधाओं, पर्यटक स्वागत केन्द्रों के निर्माण और स्मारकों के नवीकरण, विशेष पर्यटन परियोजनाओं, साहसिक एवं क्रीडा सुविधाओं, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी, स्मारकों के प्रदीप्ति करण, ठोस मल प्रबंधन और सीवरेज प्रबंधन, परिवेश में सुधार, संकेतकों, पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं आदि से सीधे संबंधित उपकरणों की प्राप्ति हेतु, अवसंरचना सुविधाओं के सृजन पर व्यय से संबंधित है। यह प्रावधान भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, पर्यटक ट्रेनों, कूज जहाजों, कूज टर्मिनलों, समागम केन्द्रों, गोल्फ कोर्सों आदि की फीस लगाने अथवा यूजर चार्ज के माध्यम से सृजित राजस्व और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से देश में होटल आवास प्रदान करने के लिए और होटलों का निर्माण करके होटलों हेतु भूमि बैंक का सृजन करने से भी संबंधित है। इस प्रावधान में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (यूएनडीपी अंतर्गत पर्यटन परियोजनाओं सहित), पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु और गुलमर्ग से भारतीय स्कीमइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान के भवन के निर्माण हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता भी शामिल है। इसमें 'गंतव्य/परिपथों' के लिए अवसंरचना विकास योजना स्कीम के अंतर्गत ट्राइवल उप-योजना के संबंध में कुल योजना बजट का 2.5% शामिल है।

5. **प्रशिक्षण:** देश में पर्यटन के विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति एक आवश्यक विशेषता है। वर्तमान में 38 होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएमएस), (निजी क्षेत्र से 15 सहित) और 10 भोजन कला संस्थान (एफसीआईज) हैं, जो राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टैक्नोलोजी परिषद (एनसीएचएमसीटी) के पाठ्यक्रमों को अनुपालन कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) और राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) अन्य निकाय हैं, जो पर्यटन में जनशक्ति विकास में शामिल हैं। इसके अलावा, पर्यटक रूचि के स्थलों, एयरपोर्टों आदि पर तैनात गाइडों, सरकारी कर्मचारियों आदि सहित, मौजूदा के साथ-साथ नए सेवा प्रदाताओं के लिए विभिन्न अवधियों के नियमित पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। भोजन एवं पेय सेवाएं और भोजन उत्पादन हाउस कीपिंग यूटिलिटी, बेकरी, ड्राइविंग स्टेट्स और स्टोन मेसो में 6 सप्ताह/8 सप्ताह के कार्यक्रमों के माध्यम से देश में युवा व्यक्तियों में रोजगार योग्य कौशल के सृजन हेतु पर्यटन मंत्रालय ने विशेष पहल भी की है।

6. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान होटलों के निर्माण, मार्केट अनुसंधान और भारत सरकार के साथ पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित, विनिवेशित भारत पर्यटन विकास निगम होटलों से संबंधित पोस्ट क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स के भुगतान हेतु प्रावधान के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय निकायों के अंशदान हेतु वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों पर पूंजीगत स्क्रिम के साथ-साथ ब्याज स्क्रिम की नई योजनाओं की सर्विस के भुगतान हेतु है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एक मुश्त प्रावधान:** पूर्वोत्तर विविध पर्यटन उत्पादों की उपलब्धता, क्षेत्र में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु व्यापक स्कोप की पेशकश करती है। पर्यटन मंत्रालय के योजना आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु चिन्हित किया गया है।

8. **विविध सामान्य सेवा:** यह विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों को निधियां भेजते समय, उठाई गई मुद्रा की हानि हेतु प्रावधान का प्रतिनिधित्व करती है।